भारत सरकार

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. *72 जिसका उत्तर

शुक्रवार, 26 जुलाई, 2024/4 श्रावण, 1946 (शक) को दिया जाना है

सागरमाला परियोजना से सम्बन्धित प्रस्ताव

†*72. **श्री कृष्ण प्रसाद टेन्नेटी :**

श्री वाई. एस. अविनाश रेड्डी :

क्या **पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सागरमाला परियोजना के अंतर्गत 90 परियोजनाओं की स्वीकृति हेतु आन्ध्र प्रदेश सरकार और विशाखापट्टनम पत्तन न्यास से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक परियोजना प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है, इसकी अनुमानित लागत क्या है, प्रत्येक परियोजना को कितनी समयावधि में पूरा कर लिया जाएगा, निष्पादन का ब्यौरा क्या है और इन प्रस्तावों के सम्बन्ध में सरकार द्वारा अब तक क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) वित्तीय वर्ष 2023-24 और 2024-25 में उपरोक्त प्रत्येक परियोजना के लिए किए गए/ किए जा रहे बजट आवंटन का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री

(श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क) से (ग): विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

“सागरमाला परियोजना से सम्बन्धित प्रस्ताव" के संबंध में श्री कृष्ण प्रसाद टेन्नेटी एवं श्री वाई. एस. अविनाश रेड्डी द्वारा पूछे गए दिनांक 26 जुलाई, 2024 के लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. *72 के उत्तर के भाग (क) से (ग) तक में संदर्भित विवरण

(क) और (ख): पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय को आंध्र प्रदेश सरकार से लगभग 3,300 करोड़ रु. मूल्य के 29 नए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इन प्रस्तवों का विवरण अनुबंधित है। **[अनुबंध-I]**

उच्च सामाजिक प्रभाव किन्तु बिना किसी लाभ या कम आंतरिक लाभ दर वाली परियोजनाओं को पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय की सागरमाला परियोजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। 29 नए प्रस्तावों में से, मंत्रालय द्वारा 1,200 करोड़ रु. मूल्य की 04 परियोजनाओं का आंशिक वित्तपोषण किया गया है। भवनापाडु पत्तन, रमय्यापट्टणम पत्तन और मछलीपट्टणम पत्तन के विकास से संबंधित परियोजनाओं के लिए आंध्र प्रदेश सरकार को इन परियोजनाओं का पुनर्गठन करने और पीएम गतिशक्ति के अंतर्गत पूंजी निवेश हेतु राज्यों को विशेष सहायता के अंतर्गत वित्तपोषित करने की संभावना का पता लगाने का अनुरोध किया गया है। तटीय बर्थों और फिशलैंडिंग केन्द्रों (एफएलसी) से संबंधित परियोजनाओं को भी वित्त मंत्रालय को उनके आवश्यक अनुमोदनों हेतु अग्रेषित किया गया है।

इस समय, मंत्रालय सागरमाला योजना के अंतर्गत विशाखापट्टणम पत्तन प्राधिकरण सहित आंध्र प्रदेश राज्य में लगभग 2,500 करोड़ रु. मूल्य की 13 परियोजनाओं को वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रहा है। ये परियोजनाएं रो-पैक्स और यात्री जेट्टियों, मत्स्यन बंदरगाहों, पत्तन आधुनिकीकरण और कौशल विकास से संबंधित हैं। मंत्रालय द्वारा इन परियोजनाओं के विकास के लिए 450 करोड़ रु. की स्वीकृति प्रदान की गई है। आंध्र प्रदेश में सागरमाला के अंतर्गत वित्तपोषित परियोजनाओं की सूची **अनुबंध-II** में दी गई है।

आंध्र प्रदेश राज्य में विशाखापट्टणम पत्तन प्राधिकरण और आईडब्ल्यूएआई द्वारा अपने आंतरिक स्रोतों के माध्यम से 4,600 करोड़ रु. की संचयी लागत से 36 परियोजनाएं शुरू की गई हैं। इन 36 परियोजनाओं में से ~2,530 करोड़ रु. मूल्य की 22 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और लगभग ~2,070 करोड़ रु. मूल्य की 14 परियोजनाएं कार्यान्वयन और विकास के विभिन्न चरणों के अंतर्गत हैं। विश्व भर के यात्रियों की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु विशाखापट्टणम पत्तन में एक अत्याधुनिक अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सह तटीय टर्मिनल का निर्माण किया गया है।

यहां पर यह उल्लेख करना भी प्रासंगिक है कि पिछले दशक के दौरान, वर्ष 2022-23 में राष्ट्र की पत्तन क्षमता ~2,500 एमटीपीए से अधिक थी (वर्ष 2014-15 के सापेक्ष 86% की वृद्धि) और महापत्तनों पर कार्गो हैंडलिंग क्षमता दोगुनी हो गई है।

सागरमाला पहल के अंतर्गत, मुंबई और विशाखापट्टणम में दो समुद्री और पोतनिर्माण उत्कृष्टता केन्द्र (सीईएमएस) परिसर स्थापित किए गए हैं। भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय परिसर में 18 प्रयोगशालाओं के साथ विशाखापट्टणम स्थित समुद्री और पोतनिर्माण (सीईएमएस) केन्द्र एशिया में अपनी तरह का पहला है। इस संस्थान द्वारा 10,000 से अधिक छात्रों को रोजगार-योग्य अभियांत्रिकी और तकनीकी कौशल प्रदान किया गया है।

(ग): सागरमाला कार्यक्रम पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय की एक प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य देश के समुद्री क्षेत्र में व्यापक बदलाव लाना तथा पत्तन-आधारित विकास और तटीय सामुदायिक उत्थान के लिए विशाल तटरेखा, नौचालन योग्य जलमार्गों और सामरिक समुद्री व्यापार मार्गों की क्षमता का दोहन करना है। वित्त मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई गई निधियां संयुक्त निधियां हैं, जो कि परियोजना-वार नहीं होती। अनुमोदनों और परियोजनाओं द्वारा हासिल उपलब्धियां के आधार पर वर्ष के दौरान निधियां जारी की जाती हैं। सागरमाला कार्यक्रम के अंतर्गत, परियोजना की जरूरतों के आधार पर पीपीपी, इक्विटी सहभागिता और अनुदान सहायता के माध्यम से वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। सागरमाला योजना के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही परियोजनाओं के अंतर्गत सरकार की तरफ से वित्तपोषण में कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है।

अनुबंध-I

आंध्र प्रदेश सरकार से प्राप्त प्रस्ताव

क्र. सं .	परियोजना का नाम	परियोजना की लागत	कार्यान्वियन एजेंसी
1	भवनापाडु ग्रीनफील्ड पत्तन पर उत्तरी ब्रेकवाटर का निर्माण	67.29	एपीएमबी
2	भवनापाडु ग्रीनफील्ड पत्तन पर दक्षिणी ब्रेकवाटर का निर्माण	955.77	एपीएमबी
3	रमय्यापट्टणम ग्रीनफील्ड पत्तन पर उत्तरी ब्रेकवाटर का निर्माण	409.05	एपीएमबी
4	बियायपुथिप्पा पर बर्थ का निर्माण	73.07	एपीएमआईडीसीएल
5	मछलीपट्टणम ग्रीनफील्ड पत्तन पर उत्तरी ब्रेकवाटर का निर्माण	89.77	एपीएमबी
6	भवनापाडु ग्रीनफील्ड पत्तन पर अग्निशमन प्रणाली और नौचालन सहायता उपकरणों की स्थापना	14.63	एपीएमबी
7	रमय्यापट्टणम ग्रीनफील्ड पत्तन पर अग्निशमन प्रणाली और नौचालन सहायता उपकरणों की स्थापना	12.59	एपीएमबी
8	मछलीपट्टणम ग्रीनफील्ड पत्तन पर अग्निशमन प्रणाली और नौचालन सहायता उपकरणों की स्थापना	12.59	एपीएमबी
9	रमय्यापट्टणम पत्तन पर वीटीएमएस की स्थापना	34.35	एपीएमबी
10	भवनापाडु पत्तन पर वीटीएमएस की स्थापना	31.52	एपीएमबी
11	मछलीपट्टणम पत्तन में वीटीएमएस की स्थापना	32.45	एपीएमबी
12	रमय्यापट्टणम पर कौशल विकास केंद्र का विकास	11.59	एपीएमबी
13	नेलातुरू में बहुउद्देशीय तटीय बर्थ का निर्माण	23.15	एपीएमबी
14	बुदुगाटलापलेम में मत्स्यन बंदरगाह	386.2	एपीएमबी
15	कोठापट्टणम में मत्स्यन बंदरगाह	364	एपीएमबी
16	पुदीमदका में मत्स्यन बंदरगाह	387	एपीएमबी

17	बंडारुवानीपेटा में एफएलसी	30.63	आंध्र प्रदेश सरकार का मत्स्यन विभाग
18	दुगाराजपट्टनम में एफएलसी	20.99	आंध्र प्रदेश सरकार का मत्स्यन विभाग
19	लक्ष्मीपुरम में एफएलसी	14.6	आंध्र प्रदेश सरकार का मत्स्यन विभाग
20	मुत्यालम्मापलेम में एफएलसी	18.77	आंध्र प्रदेश सरकार का मत्स्यन विभाग
21	अंतरवेदी पल्लीपलेम में एफएलसी	10.21	आंध्र प्रदेश सरकार का मत्स्यन विभाग
22	एटिमोगा में एफएलसी	17.3	आंध्र प्रदेश सरकार का मत्स्यन विभाग
23	कुंभाभिषेकम में एफएलसी	78.37	आंध्र प्रदेश सरकार का मत्स्यन विभाग
24	इड्डावनिपालेम में एफएलसी	34.45	आंध्र प्रदेश सरकार का मत्स्यन विभाग
25	मुक्कम में एफएलसी	37.39	आंध्र प्रदेश सरकार का मत्स्यन विभाग
26	बालुसुटिप्पा में एफएलसी	23.8	आंध्र प्रदेश सरकार का मत्स्यन विभाग
27	भीमुलावरी पालेम में एफएलसी	19.22	आंध्र प्रदेश सरकार का मत्स्यन विभाग
28	भीमिली में एफएलसी	24.02	आंध्र प्रदेश सरकार का मत्स्यन विभाग
29	रायदारुवु, तिरूपति जिले में पुलिकट झील में समुद्री मुहाने का खुलना	128	आंध्र प्रदेश सरकार का मत्स्यन विभाग

अनुबंध-II

आंध्र प्रदेश में सागरमाला-वित्तपोषित परियोजनाओं की सूची

क्र. सं.	परियोजना का नाम	क्रियान्वयन एजेंसी	परियोजना लागत (करोड़ रु. में)	ईपीसी/पीपीपी
1	विशाखापट्टणम मत्स्यन बंदरगाह का आधुनिकीकरण	विशाखापट्टणम पत्तन प्राधिकरण	178.51	ईपीसी
2	वीपीटी पर तटीय बर्थ का निर्माण	विशाखापट्टणम पत्तन प्राधिकरण	43	ईपीसी
3	कॉन्वेंट जंक्शन को बायपास करते हुए एच-7 क्षेत्र से पत्तन संपर्कता सड़क तक ग्रेड सेपरेटर का निर्माण - विशाखापट्टणम पोर्ट	एनएचएआई	60	ईपीसी
4	एनएच-5 तक पत्तन सड़क संपर्कता को 2 से 4 लेन का बनाना - चरण II	एनएचएआई	77.00	ईपीसी
5	समुद्री एवं पोतनिर्माण उत्कृष्टता केंद्र - सीईएमएस – आंध्र प्रदेश - आंध्र प्रदेश में 24 में से 18 प्रयोगशालाएं	आईआर	574.00	ईपीसी
6	तटीय जिला कौशल विकास कार्यक्रम - चरण I - आंध्र प्रदेश	ग्रामीण विकास मंत्रालय (डीडीयू-जीकेवाई)	0.28	ईपीसी
7	तटीय जिला कौशल विकास कार्यक्रम - चरण 2 - आंध्र प्रदेश	ग्रामीण विकास मंत्रालय (डीडीयू-जीकेवाई)	5.98	ईपीसी
8	आंध्र प्रदेश राज्य के एसपीएसआर नेल्लोर जिले के जुव्वालादिन्ने में मत्स्यन बंदरगाह का विकास।	एपीएमआईडीसीएल	288	ईपीसी
9	आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले में काकीनाडा एंकोरेज पत्तन के बुनियादी	आंध्र प्रदेश समुद्री बोर्ड	85.83	ईपीसी

	ढांचे में सुधार			
10	बुदुगाटलापलेम में मत्स्यन बंदरगाह	आंध्र प्रदेश समुद्री बोर्ड	386.2	ईपीसी
11	कोठापट्टनम में मत्स्यन बंदरगाह	आंध्र प्रदेश समुद्री बोर्ड	364	ईपीसी
12	पुदिमदका में मत्स्यन बंदरगाह	आंध्र प्रदेश समुद्री बोर्ड	387	ईपीसी
13	बियायपुथिप्पा में तटीय बर्थ का निर्माण	आंध्र प्रदेश समुद्री बोर्ड	73.07	ईपीसी

*****